

आरोपी सहित श्री टी.आर.बघेले अधिवक्ता ।

प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है ।

उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री टी.आर.बघेले द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश किया गया । प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई ।

उभयपक्ष ने अपने आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आरोपी के साथ फरियादी का आपसी समझौता हो गया है तथा आरोपी एवं फरियादी एक ही जाति समाज एवं गांव के निवासी है । आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत राजकुमार परते को आरोपी चैनसिंह से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

फरियादी/आहत राजकुमार परते स्वतः उपस्थित । उसकी पहचान श्री श्री टी.आर.बघेले अधिवक्ता द्वारा की गई । पहचान में संदेह नहीं है । प्रार्थी से पूछे जाने पर उन्होंने स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-447, 294, 323, 506 भाग-दो भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है । आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा- 447, 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरोप विरचित किया गया है । आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत- 447, 294, 323, 506 भाग-2 भा.द.वि. का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है । फलतः फरियादी/आहत राजकुमार परते को आरोपी चैनसिंह से धारा-447, 294, 323, 506 भाग-2 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत राजकुमार परते द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आशय से पेश किया गया कि उसके आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा आरोपी उसके जाति समाज का एवं गांव का ही है तथा आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत राजकुमार परते को आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी चैनसिंह को धारा— 447, 294, 323, 506 भाग—2 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पूंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में भेजा जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)